# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

## शुद्धि पत्र संख्या – 01/2021–22

**क्रमांक : एफ.7(7) भर्ती/स.आ./कॉलेज शिक्षा/EP-I/2018–19/15** **दिनांक : 07.06.2021**

आयोग के सं.वि.सं. 06/परीक्षा/सहायक आचार्य/कॉलेज शिक्षा/EP-I/2020–21 दिनांक 18.12.2020 द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य के 918 पद विज्ञापित किये गये थे। कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.04.2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने के फलस्वरूप उक्त पदों हेतु **पुनः ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है** तथा इस संबंध में निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :–

1. उक्त विज्ञापन में अंकित विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान के तहत् कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.04.2021 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट देय होगी। कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2021 के अनुसार उक्त वर्ग में अब आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क 250/– रूपये देय होगा।

2. उक्त विज्ञापन में प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बिन्दु संख्या 9 में अंकित भूतपूर्व सैनिकों संबंधी प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–
   **भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान –** कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर–भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर–भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख–वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ.5(18)कार्मिक/क–2/84 पार्ट दिनांक 30.10.2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर के भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

3. उक्त पदों हेतु अभ्यर्थी आयोग के ऑनलाईन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply Online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर **दिनांक 09.06.2021 से दिनांक 23.06.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते** है। इसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जायेगा।

4. **ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :–** आवेदक को ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् S.M.S. के जरिए सूचना भेजी जायेगी जिसमें किसी प्रकार की विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर त्रुटि संबंधी संशोधन कर सकता है। इसी तरह प्रथम चरण की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु 10 दिन का एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा जिसके अन्तर्गत विषय, नाम, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, परीक्षा केन्द्र के अलावा अन्य संशोधन कर सकता है। उक्त अवधि में संशोधन नहीं किये जाने पर यदि कोई त्रुटि रहती है तो अभ्यर्थी का स्वयं का दायित्व होगा व इसके पश्चात् अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Instructions for Applicants का अवलोकन कर सकते हैं।

5. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 06/2020–21 दिनांक 18.12.2020 के तहत् ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जायेगा। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी अपने आवेदन में ऑनलाईन संशोधन कर सकते है।

6. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 06/2020–21 दिनांक 18.12.2020 के तहत् ऑनलाईन आवेदन किया था परन्तु वांछित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा इत्यादि के आधार पर अपात्र थे, **उन्हें "Editing as per corrigendum point No. 6" Option में Yes विकल्प का चयन कर संशोधन शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करना आवश्यक है। यदि ऐसे अभ्यर्थी उक्त शर्त के अनुसार ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं करते हैं तो उन्हें अपात्र माना जायेगा।**

7. **इस शुद्धि पत्र के तहत् आवेदन करने वाले आवेदकों के आयु की गणना नियमानुसार दिनांक 01.07.2021 को आधार मानकर की जायेगी।**

8. उक्त पदों की शैक्षणिक योग्यता व शेष अन्य शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार यथावत् रहेगी।

**(शुभम् चौधरी)**
**सचिव**